न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—पीयुष सामारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0 पत्र सं0 23/2010 अं.धा.14(4)

1. सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1.रघुवीर, लक्ष्मण पि0 रामनिवास जाति गुर्जर निवासी बीरासना तहसील दौसा जिला

..अप्रार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) आवण्टन नियम—1970

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 16.11.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.07.2001 को ग्राम बीरासना तहसील दौसा के आ0ख0नं0 614 रकबा 0.15 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण रघुवीर, लक्ष्मण पिसरान रामनिवास जाति गुर्जर निवासी बीरासना को दिनांक 26.07. 2001 को ग्राम बीरासना तहसील दौसा के आ0ख0नं0 614 रकबा 0.15 है0 भूमि का आवंटन किया गया। किंतु अप्रार्थीगण द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदारान ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटितीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कोरम में दिनांक 26.7.2001 को गया था।। आवंटन के बाद से ही अप्रार्थीगण का आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा आज रोज तक चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर आवंटन के बाद में समतल करने में लगभग 10 लाख रू0 खर्च किये हैं एवं कुंए का निर्माण किया है। आवंटित भूमि के दो तरफ डोल आदि बना रखी है तथा पेड पौधे लगा रखे है। अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन विधिवत तरीके से नियमों के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। पटवारी हलका द्वारा बेबुनियाद रिपोर्ट पेश की गई है। अप्रार्थीगण भूमि आवंटन के बाद से निरंतर भूमि पर काश्त कर रहे है। अतः तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 26.07.2001 को ग्राम बीरासना स्थित भूमि खसरा नंबर 614 में से 0.15है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2061 से 2064 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटितीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना में आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त कर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाना प्रमाणित है, जिससे आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अप्रार्थीगण का यह कथन सही नहीं है कि आवंटितीगण का भूमि आवंटन के बाद से ही भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.7.2001 को अप्रार्थीगण को की आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र आवंटन नियम 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26.7.2001 द्वारा ग्राम बीरासना में अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 16 नवंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official